



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट-कोटडी

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 13/2015
दायरा तिथि :
निर्णय तिथि : 31.05.2017

वादीनी :-

1. श्रीमति दशरथकंवर पत्नि बाघसिंह
जाति राजपूत निवासी गुडा पृथ्वीराज
तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

ब न म

प्रतिवादीगण :-

1. मृत जयसिंह पुत्र मेघसिंह के कायम मुकाम :-
 1. जब्बरसिंह पुत्र जयसिंह
 2. लाडकंवर पुत्री जयसिंह
 3. सेमाकंवर पुत्री जयसिंह
 4. सीमाकंवर पुत्री जयसिंह
 5. दिवानकंवर पत्नि जयसिंह
कोम राजपूत निवासी राजपुरा सा. देह खातेदार
2. तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी राजस्थान सरकार) जिला पाली, राजस्थान

: निर्णय :

दिनांक : 31.05.2017

दावा बाबत 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 केम्प कोर्ट कोटडी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि सरहद मौजा गुडा पृथ्वीराज स्थित भूमि ख.न. 323, 324, 325 कुल खसरा 3 कुल रकबा 5.8400 हैक्टर किस्म गे.मु., चा.दो., जा.दो., कुल लगानी 78.20 रुपये के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2016 को जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा विभाजन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसकी तहसीलदार देसूरी से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2016 को जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाइनल डिक्री जारी किया जाना उचित एवं लाजमी प्रतित है।

पेज लगातार—2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)



तहसीलदार (भूमिधारी) गवस्था निम्नलिखित है।
देसूरी (पाली)

(P.L)

// 2 //

राजस्व वाद संख्या 13/2015 अनवान दशरथकंवर बनाम जयसिंह के का.म. जब्बरसिंह वगैरा
अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन के पश्चात वादग्रस्त भूमि मौजा गुडा पृथ्वीराज स्थित भूमि ख.न. 323, 324, 325 कुल खसरा 3 कुल रकबा 5.8400 हैक्टर किस्म गे.मु. चा.दो., जा.दो., कुल लगानी 78.20 रूपये के संबंध के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की निम्नानुसार फाइनल डिक्री जारी की जाती है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म	लगान
1	दशरथ कंवर पत्नि बाघसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार रहन एम. जी.बी. नारलाई	323 324 325/1	0.04 2.10 0.78	गे.मु. बेरा चा.दो., जा.दो. जा.दो.	41.20 7.80
	कुल योग	3	2.92	-	49.00
2	जब्बरसिंह वल्द जयसिंह, लाडकंवर, सेमाकंवर, सीमाकंवर पुत्रीया जयसिंह, दिवानकंवर पत्नि जयसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार	325	2.92	जा.दो.	29.20

तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का कोटडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नव को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माने जावे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम हेतु तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का कोटडी लिखा जावे। मिसल फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2017 को मजमा-ए-आम मे सुनाया गया।

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2017/
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :-

1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का, कोटडी



उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
देसूरी (पारसी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक: 31.05.2017

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पारसी)
पदेन सहायक कलक्टर,
केम्प-कोटडी

मूल वाद में फाईनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कोटडी

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

वादीनी :-

श्रीमति दशरथकंवर पत्नि बाघसिंह
जाति राजपूत निवासी गुडा पृथ्वीराज
तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

ब न अ म

प्रतिवादीगण :-

1. मृत जयसिंह पुत्र मेघसिंह के कायम मुकाम :-
 1. जब्बरसिंह पुत्र जयसिंह
 2. लाडकंवर पुत्री जयसिंह
 3. सेमाकंवर पुत्री जयसिंह
 4. सीमाकंवर पुत्री जयसिंह
 5. दिवानकंवर पत्नि जयसिंह
कोम राजपूत निवासी राजपुरा सा. देह खातेदार
2. तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी राजस्थान सरकार) जिला पाली, राजस्थान

दावा बाबत 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :- 13/2015

निर्णय दिनांक :- 31.05.2017

वादी की ओर से वादी व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.05.2017 को (नाम पीठासीन अधिकारी) राजेश मेवाडा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

मौजा गुडा पृथ्वीराज स्थित भूमि ख.न. 323, 324, 325 कुल खसरा 3 कुल रकबा 5.8400 हेक्टर किस्म गे.मु., चा.दो., जा.दो., कुल लगानी 78.20 रुपये के संबंध के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की निम्नानुसार फाइनल डिक्री जारी की जाती है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा (हेक्टर मे)	किस्म	लगान
1	दशरथ कंवर पत्नि बाघसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार रहन एम.जी.बी. नारलाई	323	0.04	गे.मु. बेरा	
		324	2.10	चा.दो., जा.दो.	41.20
		325/1	0.78	जा.दो.	7.80
	कुल योग	3	2.92	-	49.00
2	जब्बरसिंह वल्द जयसिंह, लाडकंवर, सेमाकंवर, सीमाकंवर पुत्रीया जयसिंह, दिवानकंवर पत्नि जयसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार	325	2.92	जा.दो.	29.20

तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का कोटडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माने जावे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकार्ड में अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम हेतु तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का कोटडी को लिखा जावे। मिसल फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2017 को मजमा-ए-आम मे सुनाया गया।



(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
देसूरी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प-कोटडी